आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Department of Economic Affairs (National Savings)

Sukanya Samriddhi Account (SSA) Scheme

बालिका की पढ़ाई और शादी के खर्च के लिए छोटी बचत का खाता।

क्या मिल सकता है

जमा राशि पर ब्याज मिलता है। 15 साल तक पैसे जमा किए जा सकते हैं। खाता खोलने के 21 साल बाद या बालिका की शादी पर, जो पहले हो, परिपक्व होता है। बालिका 18 साल की होने या 10वीं पास करने के बाद पढ़ाई के लिए जमा राशि का 50 प्रतिशत तक निकाल सकती है।

किसके लिए है

अभिभावक बालिका के 10 साल की होने तक उसके नाम पर एक खाता खोल सकते हैं।

मुख्य शर्तें

- खाता खोलने के दिन बालिका की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए।
- एक बालिका के नाम पर केवल एक खाता।
- एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के खाते (पहले दो प्रसवों में जुड़वां या तीन बच्चियां होने पर शपथपत्र के साथ अधिक खाते संभव)।
- एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा करना, 50 रुपये के गुणकों में।
- एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा।

दस्तावेज़

- खाता खोलने का फॉर्म (फॉर्म-1)
- बालिका का जन्म प्रमाणपत्र
- अभिभावक का पहचान प्रमाण (RBI KYC नियमों के अनुसार)
- अभिभावक का निवास प्रमाण (RBI KYC नियमों के अनुसार)

आवेदन कैसे करें

1. डाकघर या अधिसूचित बैंक शाखा जाएं।
2. खाता खोलने का फॉर्म (फॉर्म-1) भरें।
3. फॉर्म के साथ बालिका का जन्म प्रमाणपत्र और अभिभावक के पहचान व निवास प्रमाण दें।
4. कम से कम 250 रुपये की पहली जमा करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/jan/doc20221207101.pdf
आधिकारिक आवेदन: https://www.indiapost.gov.in/banking-services/savings
आधिकारिक PDF: https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/jan/doc20221207101.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/sukanya-samriddhi-yojana/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।